कार्यालयः मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद सं0 294/2020-21 प्राधिकरण बनाम् श्री सुदीप अग्रवाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद, श्री राधा गुलमोहर कॉलोनी-4 ग्राम सतोहा असगरपुर द्वारा प्रस्तुत श्री राधा गुलमोहर फेस-4 तलपट मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 12.10.2021 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये जाने के कम में मै0 एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा, खसरा नं0 78(पार्ट), 79(पार्ट), 85(पार्ट), 89(पार्ट), 98(पार्ट), 99 से 105, 106(पार्ट) से 109(पार्ट), 111 से 114, 114/1090, 115, 116, 117(पार्ट), 124(पार्ट) से 128(पार्ट), 129, 130(पार्ट) से 132(पार्ट), 139(पार्ट) से 141(पार्ट), 142 से 147, 148(पार्ट) से 151(पार्ट), 152, 153, 155, 156(पार्ट) व 160(पार्ट) मौजा सतोहा असगरपुर एवं खसरा नं0 245(पार्ट), 246(पार्ट) मौजा नगला सदौला मथुरा द्वारा वाह्य विकास शुल्क रु0 3,43,53,747.00, अतिरिक्त सर चार्ज रु0 17,17,687.00, निरीक्षण शुल्क रु0 10,85,367.00, निरीक्षण शुल्क ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. शुल्क रु0 49,785.00, शमन शुल्क रु0 65,67,628.00, शमन मानचित्र शुल्क रु0 90,000.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 4,38,64,214.00 लगाया गया जिसके सापेक्ष में वाह्य विकास शुल्क रु0 42,94,217.00, अतिरिक्त सर चार्ज रु0 17,17,687.00, निरीक्षण शुल्क रु0 10,85,367.00, निरीक्षण शुल्क ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. शुल्क रु0 49,785.00, शमन शुल्क रु0 65,67,628.00, शमन मानचित्र शुल्क रु0 90,000.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 1,38,04,684.00 प्राधिकरण में जमा कर दिये गये है। जिसकी पुष्टि लेखानुभाग द्वारा पृष्ठ संख्या-21 पर दिनांक 23.10.2021 कर दी गयी है । लेबर सेस के मद में आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या- "018856" धनराशि रु0 58,220.00 (रु0 अठ्ठावन हजार दो सौ बीस मात्र) "उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में प्रस्तुत कर दिया गया है। मानचित्र में लगायी गयी शर्ते मानचित्र के अग्रभाग पर चस्पा कर दी गयी है एवं वाद निम्न शर्तो के अनुसार शमन किया जाता है ।

1. आवेदक को अवशेष निरीक्षण शुल्क रु0 26,078.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होगें।
2. आवेदक को अवशेष लेबर सेस जमा कराना होगा।
3. मानचित्र स्वीकृति भूस्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी भूस्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वत: निरस्त होना मान्य होगा।
4. प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुरक्षण आवेदक द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक सम्बन्धित नगर पालिका/सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नहीं कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा को प्रस्तावित कॉलौनी के हस्तान्तरण का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेन वाटर हारवेंस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
6. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
7. उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड के नियमानुसार प्राविधान करना होगा।
8. भविष्य में बढ़े हुए विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की मांग की जाती है तो वह विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
9. भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनादेशो/बोर्ड बैठको के निर्णयो का अनुपालन करना होगा।
10. प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण शमन मानचित्र में दर्शित विकास कार्यो की प्रगति के समानुपातिक करना होगा।
11. पृथक पृथक भूखण्डों पर विकास कर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार एकल आवास के अनुसार निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
12. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/शासनादेशो का पालन करना होगा।
13. स्कूल व अन्य सुविधायें पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में सम्मलित है। जिसका उपयोग प्रस्तावित स्थल के आवासीयों के द्वारा किया जायेगा। यदि घनत्व बढ़ता है तो अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ेगी व आस-पास के मौजूद स्कूलों का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
14. चकरोड़ एवं रोड़ वाइडिंग तथा नाली हेतु छोड़ी गई भूमि का विकासकर्ता को अपनी लागत पर स्वयं विकास करना होगा । चकरोड़, नाली एवं रोड वाइडिंग की भूमि को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
15. आवेदक को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा की अनापत्ति समस्त शर्तो को पालन करना होगा।
16. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

उक्त वाद उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत प्रशमन किया जाता है। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का प्रमाण नही होगी ।

उपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।